



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट -थाना कोतवाली देहात

दिनांक 02.10.2025

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 209/2025 धारा 353(2) बी0एन0एस0 व धारा 66(E) आई0टी0 एक्ट से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.10.2025 को वादी द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त इसरार पुत्र इलियास निवासी ग्राम मुस्सेपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर मा0 मुख्यमंत्री जी की फोटो को एडिट करके पोस्ट किया गया ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 209/2025 धारा 353(2) बी0एन0एस0 व 66(E) आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

आज दिनांक 02.10.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त इसरार पुत्र इलियास निवासी ग्राम मुस्सेपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

अभियुक्त का नाम व पता-

इसरार पुत्र इलियास निवासी ग्राम मुस्सेपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 अनिल कुमार राणा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 2- का0 2084 संजय सोनी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 3- का0 1436 विकास कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना अफजलगढ

दिनांक 02.10.2025

**थाना अफजलगढ पुलिस ने अभियुक्त को 20 ली० अवैध कच्ची शराब सहित किया
गिरफ्तार।**

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.10.2025 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त संजीव पुत्र गिरधारी सिंह सैनी निवासी ग्राम दल्लीवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को 20 ली० अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना अफजलगढ पर मु०अ०सं० 298/2025 धारा 60(1) आबकारी अधि० बनाम अभियुक्त संजीव उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

संजीव पुत्र गिरधारी सिंह सैनी निवासी ग्राम दल्लीवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण:-

20 ली० अवैध कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष रामप्रताप सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2. हे०का० 519 पीयूष आकाश यादव थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
3. का० 1259 गौरव थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट - थाना चांदपुर

दिनांक 02.10.2025

**थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 544/2025 धारा 191(2)/
191(3)/190/115(2)/352/351(3)/109(1) बीएनएस व धारा 3/25 आयुध अधिनियम
संबंधित 02 अभियुक्तगण को घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.09.2025 को वादी साबिर पुत्र असगर निवासी ग्राम हीमपुर बुजुर्ग थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1. सरफराज पुत्र महमूद 2. इस्राईल पुत्र सरीफ 3. सन्नवर पुत्र इमामुद्दीन 4. शाहनवाज पुत्र इमामुद्दीन 5. समीर पुत्र सन्नवर 6. नईम पुत्र सराकत निवासीगण उपरोक्त द्वारा वादी के पुत्र के साथ गाली-गलौच व मारपीट की गयी तथा जान से मारने की नीयत से अभियुक्त अभियुक्त इस्राईल द्वारा वादी के पुत्र के ऊपर तमंचे से फायर किया गया ।



इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 544/2025 धारा 191(2)/ 191(3)/190/115(2)/352/351(3)/109(1) बीएनएस सरफराज आदि कुल 06 नफर पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

आज दिनांक 02.10.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों इसराईल पुत्र शरीफ व सनव्वर पुत्र इमामुददीन निवासी ग्राम हीमपुर बुजुर्ग थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त एक अवैध तमन्चा 315 बोर व एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया, जिसके आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गयी । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्तगण का विवरण –

1. इसराईल पुत्र शरीफ निवासी ग्राम हीमपुर बुजुर्ग थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. सनव्वर पुत्र इमामुददीन निवासी ग्राम हीमपुर बुजुर्ग थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री अब्दुल कादिर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
2. का0 754 मुकेश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
3. का0 711 विपिन कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट - थाना नूरपुर

दिनांक 02.10.2025

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 324/2025 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम संबंधित 02 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.10.2025 को वादी श्री राजपाल सिंह पुत्र शौनाथ सिंह निवासी ग्राम सुनगढ थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर द्वारा थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि उसकी पुत्री की शादी तुषार पुत्र नीरज निवासी ग्राम फतियाबाद थाना नूरपुर जनपद बिजनौर के साथ वर्ष 2024 में हुई थी, तभी से ही उसकी पुत्री के ससुराल वाले उसे दहेज के लिये प्रताड़ित कर रहे थे ।



दिनांक 01.10.2025 को वादी की पुत्री के ससुराल वालों ने मिलकर उसकी पुत्री की फांसी लगाकर हत्या कर दी ।

इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 324/2025 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम तुसार आदि 04 नफर पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

आज दिनांक 02.10.2025 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों नीरज कुमार पुत्र करन सिंह व उसकी पत्नी गीता देवी को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्तगण का विवरण –

1. नीरज कुमार पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम फतियाबाद थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. गीता देवी पत्नी नीरज कुमार निवासी ग्राम फतियाबाद थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री अमूल मिश्रा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. का0 1893 अंकित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
3. का0 2482 अक्षय कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
4. म0हे0का0 743 विनिता तोमर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।